भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2395

16 मार्च, 2022 के लिए प्रश्न

पोषण संवर्धित चावल की खरीद

2395. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खरीफ और रबी मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों से पोषण संवर्धित चावल खरीदने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संवर्धित चावल के वितरण के लिए कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या सहित वितरित किए जाने वाले उक्त चावल की मात्रा कितनी है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): जी हां। खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2021-22 के लिए फोर्टिफ़ाइड चावल की खरीद के लिए राज्य-वार सांकेतिक अनुमान अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): देश में एनीमिया और सूक्ष्म-पोषक तत्वों की कमी की समस्या के समाधान के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 से 3 वर्ष की अवधि के लिए 174.64 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ "चावल के फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसके वितरण" पर केन्द्रीय प्रायोजित पायलट स्कीम का अनुमोदन किया है। यह पायलट स्कीम 15 राज्यों (प्रति राज्य एक जिला) पर केन्द्रित है। इस पायलट स्कीम के तहत 11 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र, तामिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड ने अपने चिह्नित जिलों में फोर्टिफ़ाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया है। इस पायलट स्कीम के तहत फरवरी 2022 तक लगभग 3.91 लाख टन फोर्टिफ़ाइड चावल का वितरण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, देश में फोर्टिफ़ाइड चावल के वितरण में वृद्धि करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस वर्ष (2021-22) के दौरान क्रमशः एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) और पीएम पोषण (पूर्व में मध्याह्न भोजन स्कीम) के तहत फोर्टिफ़ाइड चावल का वितरण प्रारम्भ कर दिया है।

******

लोक सभा में दिनांक 16.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2395 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित अनुबंध

क्रं सं	राज्य	केएमएस वर्ष 2021-22 के दौरान फोर्टिफ़ाइड चावल के वितरण के लिए सांकेतिक आकलन (आँकड़े लाख टन में)		
		राज्य की स्वयं की आवश्यकता के लिए	एफसीआई को आपूर्ति के लिए (केवल कच्चे फोर्टिफ़ाइड चावल)	राज्य के लिए कुल लक्ष्य
		(क)	(ख)	(ग= क + ख)
1	बिहार	30.00	0.00	30.00
2	झारखंड	1.00	0.00	1.00
3	ओड़ीशा	11.00	10.00	21.00
4	पश्चिम बंगाल	9.40	0.00	9.40
5	असम	0.00	0.00	0.00
6	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
7	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
8	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
9	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
10	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
11	मेघालय	0.00	0.00	0.00
12	हरियाणा	0.00	20.00	20.00
13	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
15	पंजाब	0.00	40.00	40.00
16	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
17	उत्तर प्रदेश	37.70	0.00	37.70
18	उत्तराखंड	1.20	0.00	1.20
19	आंध्र प्रदेश	8.60	15.00	23.60
20	तेलंगाना	2.20	15.00	17.20
21	केरल	0.00	0.00	0.00
22	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00
23	तमिलनाडु	1.00	0.00	1.00
24	गुजरात	0.00	0.00	0.00
25	महाराष्ट्र	5.36	0.00	5.36
26	मध्य प्रदेश	5.60	0.00	5.60
27	छत्तीसगढ़	5.80	11.00	16.80
	कुल	**118.86**	**111.00**	**229.86**